हाउसिंग (आवास)

किरायेदारों के लिए:

1. **एविक्शन (बाहर निकालना):** आपका मकान मालिक अदालत की प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना आपको आपके अपार्टमेंट से निकाल नहीं सकता है। वे न तो ताले को बदल सकते हैं और न ही शारीरिक रूप से आपको उठाकर बाहर फेंक कर सकते हैं। यदि आपका मकान मालिक आपको व्यक्तिगत रूप से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पुलिस को बुलाएँ।

2. **मरम्मत:** आपके पास एक ऐसे सुरक्षित घर का अधिकार है जो सभी काउंटी और राज्य हाउसिंग कोड आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मरम्मत के लिए अनुरोध को आपके मकान मालिक के समक्ष लिखित रूप में पेश किया जाना चाहिए। आपको अपने किराये का भुगतान हमेशा समय पर करना चाहिए। हालांकि, यदि आपका मकान मालिक मरम्मत करने के लिए मना कर देता है, तो आप मरम्मत किये जाने तक अदालत से अपने किराए के भुगतान को एक विशेष, अलग अकाउंट में करने की अनुमति के लिए कह सकते हैं।

3. **सिक्योरिटी डिपोजिट:** आपको अपना अपार्टमेन्ट छोड़ते समय अपने सिक्योरिटी डिपोजिट को पूर्ण रूप में (3% ब्याज के साथ) वापस प्राप्त करने का अधिकार है। यदि मकान मालिक अवैध तरीके से आपके डिपोजिट को अपने पास रखता है, आप उसका तीन गुना प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं।

4. **नि:शुल्क कानूनी सलाह.** यदि आपको अपने मकान मालिक से कोई समस्या है, तो आप नि:शुल्क कानूनी सलाह और सहायता के लिए APALRC को कॉल कर सकते हैं। (202) 393-3572.

फोरक्लोजर का सामना करने या उसमे फंसने वाले मकान मालिकों के लिए:

1. **इंतजार मत करें। तुरंत मदद के लिए कॉल करें।** अपना भुगतान न कर पाने से पहले ही मदद प्राप्त करने की कोशिश करें।

2. **अपने लेंडर (ऋणदाता)/लोन (ऋण) अधिकारी के साथ बात करें।**

3. **निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखें।**

• सेटलमेंट कागजात • लेंडर द्वारा दिए गये नोटिस और पत्र • लेंडर का हालिया स्टेटमेंट • हालिया वेतन के कागजात • सभी प्रकार के ऋण के स्टेटमेंट (क्रेडिट कार्ड, ऋण, बिल)।

मैरीलैंड में फोरक्लोजर से संबंधित सहायता:

मैरीलैंड फोरक्लोजर कानूनी सहायता परियोजना
(800) 444-4099
मैरीलैंड H.O.P.E. हॉटलाइन
(877) 462-7555

रिसोर्सेज (संसाधन)

कानूनी सेवाएं/ इमिग्रेशन:
- **APALRC**: 202-393-3572

स्वास्थ्य और देखभाल:
- **AAHI रोगी नेवीगेटर कार्यक्रम:** 301-760-4993
- **(दक्षिण) एशियाई और भारतीयों की मदद करने वाले काउंसलर:** 443-615-1355

पारिवारिक / घरेलू हिंसा से संबंधित सेवाएं:
- महिलाओं के लिए **ASHA हेल्पलाइन:** 888-417-2742
- **A/PI DVRP हेल्पलाइन:** 888-417-2742

फोरक्लोजर / क्रेडिट काउंसलिंग:
- **मोंटगोमरी काउंटी क्रेडिट परामर्श हॉटलाइन:** (877) 254-1097
- **मैरीलैंड H.O.P.E. हॉटलाइन:** (877) 462-7555

सरकारी कार्यक्रम:
- **मोंटगोमरी काउंटी का सामाजिक सेवा विभाग:** (240) 777-1245 | www.marylandsail.org
- **पड़ोसी (नेबरहुड) सेवा केंद्र:** 301-840-4080 (गैथेर्सबर्ग) 301-942-1790 (व्हेयटोन)

जॉब ट्रेनिंग
- **मोंटगोमेरी वर्क्स:** 301-946-1806

APA LRC

एशियन पेसिफिक अमेरिकन लीगल रिसोर्स सेंटर
कानूनी (लीगल) हेल्पलाइन: 202-393-3572
हिन्दी/उर्दू/गुजराती: एक्सटेंशन 19
वियतनामी: एक्सटेंशन 20
अंग्रेजी/अन्य: एक्सटेंशन 22

कृपया अपने नाम/ नंबर के साथ एक विस्तृत संदेश छोड़ें, और आपकी भाषा में कोई आपसे अवश्य संपर्क करेगा।

saalt
SOUTH ASIAN AMERICANS LEADING TOGETHER

साउथ एशियन अमेरिकंस लीडिंग टूगेदर
6930 Carroll Ave, Suite 506
Takoma Park, MD 20912
फोन: 301-270-1855

HINDI

मोंटगोमरी काउंटी रिसोर्सेज

क्या आपको इनके बारे में जानकारी की आवश्यकता है ...

❑ ***सामर्थ्य में स्वास्थ्य सेवा***

❑ ***जॉब ट्रेनिंग रिर्सोसेज़***

❑ ***सरकारी कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर रहे हैं?***

❑ ***घरेलू समस्याएं?***

हेल्थकेयर (स्वास्थ्य देखभाल)

"मेरे पास बीमा नहीं है या मेरा स्वास्थ्य बीमा मेरे लिए आवश्यक देखभाल को कवर नहीं करता है। क्या मैं सरकारी चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकारी (योग्य) हूँ?"

आप मेडिकेड नामक एक चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकेड प्राप्ति के योग्य होने के लिए आवश्यक है कि आप अमेरिकी नागरिक हों अथवा कम से कम 5 वर्षों से क़ानूनी तौर पर स्थायी निवासी रहे हों। योग्यता आपकी घरेलू आय पर भी निर्भर करती है। मेडिकेड के बारे में अधिक जानने या आवेदन करने के लिए अपने स्थानीय **सामाजिक सेवा विभाग (DSS)** से 240-777-1245 पर या ऑनलाइन www.marylandsail.gov पर संपर्क करें।

"मेरा नाम दस्तावेजित नहीं है लेकिन मेरे बच्चों का जन्म अमेरिका में हुआ है। क्या वे चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के अधिकारी (योग्य) हैं?"

हाँ, भले ही आप दस्तावेजित नहीं हैं, यदि आपके बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं, वे **मैरीलैंड बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (MCHIP)** की सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं यदि आप आय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। **याद रखें:** यदि आप DSS को बताएं कि आप स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपके इमिग्रेशन स्तर के बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप "कागजात के बिना" या "अवैध" तरीके से रह रहे हैं। एक झूठा नाम या सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग न करें।

"यदि मैं चिकित्सा सहायता कार्यक्रमों के लिए योग्य नहीं हूँ तो मैं हेल्थकेयर के लिए कहाँ जा सकता हूँ?"

एशियन अमेरिकन स्वास्थ्य पहल रोगी नेवीगेटर कार्यक्रम एक निःशुल्क टेलीफोन हॉटलाइन प्रदान करता है जो निःशुल्क या सस्ती चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने वाले क्लीनिकों के विषय में जानकारी दे सकता है। इन क्लीनिकों पर योग्य रोगियों के लिए इंटरप्रिटेशन (अनुवाद संबंधी) सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। टेलीफोन ऑपरेटर चीनी, हिन्दी / उर्दू, कोरियाई, और वियतनामी भाषाओं में धाराप्रवाह (आसानी से) बात कर सकते हैं।

रोगी नेवीगेटर कार्यक्रम: 301-760-4993

बेरोजगारी

"मैं अभी अभी अपनी नौकरी खो चुका हूँ काम की तलाश में हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ?

आप बेरोजगारी बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक एम्प्लोयर द्वारा फंड किया जाने वाला कार्यक्रम जो बेरोजगार या काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करता है। ऐसे सभी दस्तावेजित इमिग्रेंट लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके एम्प्लोयर ने सिस्टम में भुगतान किया है।

बेरोजगारी के लिए फाइल करने की प्रक्रिया दो कदमों की है।

1. **सबसे पहले, आप बेरोजगारी बीमा का अनुरोध** करने के लिए एक प्रारंभिक दावे को फाइल करेंगे। एक प्रारंभिक दावे को फाइल करने के लिए आवश्यक है कि आप बेरोजगार हों या पार्ट-टाइम आधार पर काम कर रहे हों (और फुल-टाइम काम ढूंढ पाने में असमर्थ हों)।
2. **दूसरे, आप ऑन-गोइंग जारी दावों को फाइल करेंगे।** एक बार आपका प्रारंभिक दावा स्थापित हो जाने के बाद, यह आवश्यक है कि आप बेरोजगारी के प्रत्येक सप्ताह के लिए इंटरनेट (वेबसर्ट) या टेलीफोन (टेलीसर्ट) के माध्यम से जारी दावे को फाइल करें। **यदि आप इन जारी दावों को फाइल नहीं करते हैं, तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा।**

यदि आपको समस्याएं हैं या मना कर दिया जाता है तो APALRC कानूनी हेल्पलाइन (नंबर "रिसोर्सेज" सेक्शन में लिखा हुआ है) पर कॉल करें।

मोंटगोमेरी वर्क्स (जॉब प्रशिक्षण संसाधन):

व्हेयटोन: 301-946-1806
Westfield Mall, South Office Building, 1st floor
11002 Veirs Mill Road, Wheaton, MD 20902

गैथेर्सबर्ग: 301-519-8253
Lakeforest Mall, 2nd Level
701 Russell Avenue, Gaithersburg, MD 20877

जर्मनटाउन: 240 777-2050
12900 Middlebrook Road, Germantown, MD 20874

वेबसाइट: **http://www.montgomeryworks.com**

अन्य सरकारी सहायता

फूड स्टैम्प (खाद्य टिकट)

"मुझे अपने या अपने परिवार के खाने के लिए पैसे जुटाने में दिक्कत हो रही है। क्या मेरी मदद के लिए कोई कार्यक्रम है?"

आप फूड स्टैम्प्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जो लोगों और परिवारों को अपने लिए आवश्यक भोजन खरीदने में मदद करता है।

क्या मैं योग्य हूँ?

मैरीलैंड में फूड स्टैम्प्स हेतु योग्य होने होने के लिए आवश्यक है कि आप अमेरिकी नागरिक हों अथवा कम से कम 5 वर्षों से क़ानूनी तौर पर स्थायी निवासी रहे हों। योग्यता आपकी घरेलू आय तथा एसेट्स (परिसंपत्तियों) पर भी निर्भर करती है। $ 2,000 से अधिक की बचत या निवेश ($ 3000 यदि आप या परिवार का कोई सदस्य 60 वर्ष से अधिक उम्र का है अथवा विकलांगता से ग्रस्त है) वाले व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं हैं।

अस्थाई नकद सहायता (टीसीए)

"मुझे अपने बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदद की आवश्यकता है। क्या मेरी मदद के लिए कोई कार्यक्रम है?"

यदि आपका कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है तो आप **अस्थाई नकद सहायता (टीसीए)** के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या मैं योग्य हूँ?
मैरीलैंड में टीसीए हेतु योग्य होने होने के लिए आवश्यक है कि आप अमेरिकी नागरिक हों अथवा कम से कम 5 वर्षों से क़ानूनी तौर पर स्थायी निवासी रहे हों। योग्यता आपकी घरेलू आय पर भी निर्भर करती है। यह भी आवश्यक है कि सभी आवेदक लाभ के लिए आवेदन वाले दिन से शुरुआत करके काम पर लगे हों।

"मैं फूड स्टैम्प्स और टीसीए के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकता हूँ?"
मोंटगोमरी काउंटी **सामाजिक सेवा विभाग** से 240-777-1245 पर संपर्क कर सकते हैं या **www.marylandsail.org** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।